निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 पौष 1931 (श0)

(सं0 पटना 636) पटना, बुधवार, 23 दिसम्बर 2009

पथ निर्माण विभाग

————————

अधिसूचना

14 दिसम्बर 2009

सं0 निग/सारा–1(मु0)–77/09–14650(s)—श्री सत्यनारायण महतो, तत्कालीन उप–निदेशक, परीक्षण एवं शोध संस्थान, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना (सम्प्रति अधीक्षण अभियन्ता, भवन निर्माण अंचल, गया) के विरूद्ध उक्त पदस्थापन काल में विभिन्न उड़नदस्ता दलों द्वारा उपलब्ध कराये गये सामग्रियों से संबंधित जॉच प्रतिफल को विलम्ब से भेजे जाने के संबंध में प्राप्त सूचना के आलोक में प्रारंभिक जॉच करायी गयी । प्रारंभिक जॉच प्रतिवेदन से यह ज्ञात होने पर कि, विभिन्न उड़नदस्ता दलों द्वारा उपलब्ध कराये गये सामग्रियों से संबंधित जॉच प्रतिफल प्राप्त होने के उपरान्त उन प्रतिवेदनों को भेजने में श्री महतो द्वारा कतिपय कारणों से विलम्ब किया जाता था, इसकी विस्तृत जॉच करायी गयी । प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से इस तथ्य की पुष्टि होने पर कि श्री महतो द्वारा अत्यधिक विलंब से जॉच प्रतिफल को हस्ताक्षर कर भेजा जाता था, विभागीय पत्रांक 12100(एस), दिनांक 29 अक्तूबर 2009 द्वारा श्री महतो से स्पष्टीकरण की मांग की गयी ।

2. श्री महतो के पत्रांक'–शून्य, दिनांक 10 नवम्बर 2009 से प्राप्त स्पष्टीकरण में उनके द्वारा मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है कि द्वय प्रभार में रहने के कारण समयाभाव तथा गोपनीय कोषांग से जॉच प्रतिफल तैयार होने (Decoding) की तिथि एवं उनके हस्ताक्षर की तिथि में gap की गणना युक्ति–युक्त नहीं है । बल्कि गोपनीय कोषांग द्वारा उनके समक्ष हस्ताक्षर हेतु उपस्थापन की तिथि एवं उनके हस्ताक्षर की तिथि के gap की अवधि को विलंब की अवधि मानी जाय। श्री महतो द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के विभागीय समीक्षा में पाया गया कि उनके द्वारा कार्यपालक अभियन्ता, पथ प्रमंडल बांका का पदभार दिनांक 19 जनवरी 2009 को सौंपा गया तथा भवन निर्माण विभाग की अधिसूचना के आलोक में दिनांक 18 मार्च 2009 को अधीक्षण अभियन्ता, भवन निर्माण अंचल गया का पदभार ग्रहण किया गया। इस प्रकार दिनांक 20 जनवरी 2009 से 17 मार्च 2009 तक की अवधि में वे मात्र उप–निदेशक परीक्षण एवं शोध संस्थान के प्रभार में रहे तथा इस अवधि में ही इनके द्वारा अतिशय विलम्ब से प्रतिवेदन हस्ताक्षरित कर भेजा गया है। साथ ही द्वय प्रभार का अर्थ कदापि यह नहीं होता है कि संवेदनशील मामले में शिथिलता बरती जाय। उन्हें जब अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के स्थापना कार्य के लिए समय मिल सकता था, तो कोई ठोस कारण नहीं है कि इनके द्वारा जॉच प्रतिवेदनों को हस्ताक्षरित क्यों नहीं किया गया। कई मामलों में यह विलम्ब साढ़े तीन से साढ़े चार माह तक का है । श्री महतो का यह तर्क कि उनके समक्ष हस्ताक्षर हेतु उपस्थापन की तिथि एवं उस पर उनके हस्ताक्षर की तिथि की अवधि को विलम्ब की अवधि मानी जाय, उचित नहीं है । जॉच प्रतिवेदन अत्यन्त ही संवेदनशील document है जो गुणवत्ता प्रतिवेदन से संबंधित होता है और अगर

इस रिपोर्ट से संबंधित संचिका विलम्ब से उपस्थापित होती थी या की जा रही थी तो इन्हें ठोस कार्रवाई करनी चाहिए थी ।

3. उपर्युक्त कारणों से श्री सत्यनारायण महतो, अधीक्षण अभियन्ता का स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाते हुए, सम्यक् रूप से विचारोपरान्त सरकार के निर्णयानुसार इन्हें निम्न दण्ड संसूचित किया जाता है :–

(क) इनकी दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकी जाती है ।

(ख) 'निन्दन' ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
उप–सचिव (निगरानी)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 636-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in